रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122022-241251 CG-DL-E-20122022-241251

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 795] No. 795] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2022/अग्रहायण 29, 1944

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022/AGRAHAYANA 29, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 20 दिसम्बर. 2022

सं. 111/2022-सीमाश्ल्क(गै.टे.)

सा.का.नि. 891(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 151ख की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्दवारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 58/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 जुलाई, 2021, जिसे सा.का.नि. संख्या 467(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है. यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

क्रम. सं.	संविदाकारी राज्यों के नाम	सीमाशुल्क मामलों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता (सीएमएए)
		पर समझौता या व्यवस्था
(1)	(2)	(3)
"9क	जापान	भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच समझौते को लागू करना; तथा

8514 GI/2022 (1)

भारत गणराज्य और जापान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की
सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अध्याय के कार्यान्वयन के लिए सूचना के आदान-
प्रदान हेतु व्यावहारिक व्यवस्था";

(ii) क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा.

यथा: -

क्रम. सं.	संविदाकारी राज्यों के नाम	सीमाशुल्क मामलों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता (सीएमएए) पर समझौता या व्यवस्था
(1)	(2)	(3)
"19क	फिलीपींस गणराज्य	भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपींस गणराज्य की सरकार के बीच सीमाशुल्क मामलों में सहयोग एवं पारस्परिक सहायता पर करार"।

[फा. सं. 15021/02/2019-आईसीडी(सीबीईसी)]

हरीश कुमार, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 58/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 जुलाई 2021 को सा.का.नि. 467(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

No. 111/2022 - Customs (N.T.)

G.S.R. 891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 151B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 58/2021-Customs (N.T.), dated the 1st July, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 467(E), dated the 1st July, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, –

(i) after S. No. 9 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

S.No.	Name of contracting State	Agreement or Arrangement on Cooperation and Mutual Administrative Assistance (CMAA) in Customs matters
(1)	(2)	(3)
"9A	Japan	Implementing Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Japan pursuant to Article 13 of the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of India and Japan; and Practical Arrangement on Information Exchange for the implementation of the Chapter on Customs Procedures of the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of India and Japan";

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

(ii) after S. No.19 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

S.No.	Name of contracting State	Agreement or Arrangement on Cooperation and Mutual Administrative Assistance (CMAA) in Customs matters
(1)	(2)	(3)
"19A	Republic of the Philippines	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Philippines on Co-operation and Mutual Assistance in Customs Matters".

[F. No.15021/02/2019-ICD(CBEC)]

HARISH KUMAR, Under Secy.

Note: The principal notification No. 58/2021-Customs (N.T.), dated the 1st July, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 467(E), dated the 1st July, 2021.